

न्यायालय तहसीलदार तहसील..... जिला..... म.प्र.

प्र. क्र. ..../बी 121/..... दिनांक.....

## स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आरम्भ/आरम्भ/पति श्री..... निवासी..... जिला..... राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी के लिए निर्धारित मापदण्ड की निम्न कड़िका क्र०..... एवं क्र०..... पूर्ण करने के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी है।

### मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी के मापदण्ड

- 1 (1) वह मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है, अथवा
- 1 (2) वह स्वयं अथवा उसका पालक/ वैध अभिभावक म.प्र. में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर रहे रहा है। अथवा
- 1 (3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवार्थ या सेवा विवृत कर्मचारी है। अथवा
- 1 (4) उसके पालकों में से कोई मध्य प्रदेश में सेवार्थ केंद्रीय शासन का कर्मचारी है, अथवा
- 1 (5) वह स्वयं/उसके पालक का राज्य में पिछले पांच वर्षों से अप्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निवास कर रहा है।
2. इसके अतिरिक्त :-
  - 2 (1) उसने म.प्र. राज्य अथवा अधिवासित मध्य प्रदेश राज्य को ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं, में स्थित शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है, अथवा
  - 2 (2) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अंगीन सेवा के लिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या श्वी कक्षा की परीक्षा, एवं यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड की इच्छासिद्धि, हायर सेकेण्डरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो श्वी कक्षा की परीक्षा, अथवा
  - 2 (3) अन्य मामलों में प्रांतीय की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
3. परंतु उपरोक्त शां. क्र. 2(1) से 2(3) म.प्र. से शिक्षा संबंधी शर्तें निम्न परिस्थितियों होने के कारण लागू नहीं है:-
  - 3 (1) वह अंध/मूढ़/बधिर है एवं उसके द्वारा प्रदेश के बाहर से शिक्षा ग्रहण की है, अथवा
  - 3 (2) वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है एवं सैनिक सेवा के कारण मध्य प्रदेश को बाहर पदस्थ रहा है, अथवा
  - 3 (3) वह मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु निर्धारित उपरोक्त शर्तें क्रमांक 1.2 की पूर्ति करते हैं, एवं
    - 3.3 (1) वह अशिक्षित है, अथवा
    - 3.3 (2) मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान है एवं उनके द्वारा मध्य प्रदेश को बाहर शिक्षा ग्रहण की है।
4. वह निम्नलिखित प्रमाणों का होने के कारण मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी है :-
  - 4 (1) मध्य प्रदेश को अवधि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की संतान/पत्नी/पति हैं, अथवा
  - 4 (2) मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी का मापदण्ड पूरा करने वालों की पत्नी/पति हैं अथवा
  - 4 (3) मध्य प्रदेश में तैय्यानाक या विधिक पदों पर महम्मदिन राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा नियुक्त कर्मियों की संतान/पत्नी/पति हैं।

तहसीलदार..... तहसील..... जिला..... म.प्र.)